न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 34 / 2024
अनवान सुशील कुमार बनाम जगतूराम
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

सुशील कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
प्रार्थी

बनाम

1. जगतूराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. मंगतराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. शालु पत्नी श्री सुशील कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. प्रियंका पत्नी श्री सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
5. बृजलाल पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
6. सुखचरण सिह पुत्र श्री राम सिह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेशः–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 पीटीपी पटवार हल्का इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया के खाता संख्या 11 / 14 पत्थर नम्बर 139 / 131 मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 2 / 1 / 0.152, 2 / 2 / 0... 3 / 1 / 0.225, 8,9 / 0.253, में स्थित है। प्रार्थी की उक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि वाके तहसील संगरिया के चक 5 पीटीपी के खाता सं. 11 / 14 पत्थर नम्बर 139 / 131 मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 2 / 1 / 0.152, 2 / 2 / 0.017, 3 / 1 / 0.225, 8,9 / 0.253, में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं होने की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए प्रार्थी को इसी चक के खाता सख्या 11 / 14 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 की कब्जा काश्त भूमि प.न. 138 / 131 मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 5 / 1 / 0.00253 है. (किला के उतरी--पूर्वी कौण में 16.5 फुट चौडा व 16.5 फुट लम्बा रास्ता) प.न. 139 / 131 मु.न. 20 किला नम्बर 1 / 1 / 0.025 है. (किला की उतरी दिशा में धोरी खाल के साथ चिपता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा रास्ता), 2 / 1 / 0.009 है. (किला की उतरी दिशा में धोरी खाला के साथ चिपता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर 58 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। शेष पक्षकारों को रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब किये जाने पर भी उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1152 दिनांक 04.03.2025 द्वारा प्रार्थी के पास आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही होना व प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक होना एवं पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आपस मे सहमत नही होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा करते हुए अपनी मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है। जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है और तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुचने का कोई अन्य वैकल्पिक सार्वजनिक या निजी रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदित रास्ता ही उनकी कब्जा काश्त कृषि भूमि तक पहुँचाने का एक मात्र मार्ग है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए के तहत किसी काश्तकार के पास खातेदारी कृषि भूमि के लिये कृषि कार्य हेतु मजूर शुद्वा रास्ता का आभाव है तो उसे निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का स्पष्ट प्रावधान किये गये है इसलिये प्रार्थी को रास्ता से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना—पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 पीटीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रकबा में से चक 5 पीटीपी प.न. 138/131 मुरब्बा नम्बर 21 किला नम्बर 5/1/0.00253 है. (किला के उतरी—पूर्वी कौण में 16.5 फुट चौडा व 16.5 फुट लम्बा रास्ता) प.न. 139/131 मु.न. 20 किला नम्बर 1/1/0.025 है. (किला की उतरी दिशा में धोरी खाल के साथ चिपता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा रास्ता), 2/1/0.009 है. (किला की उतरी दिशा में धोरी खाला के साथ चिपता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर 58 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा रास्ता) निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा कम कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का रकबा बढाया जाकर किला नं. 2 के चिपता अप्रार्थी 1 व 2 को उक्तानुसार कब्जा दिलवाये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया।